कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

पत्र संख्या–158 /33–1, दिनांक, मिर्जापुर,जुलाई 19, 2022.

सेवा में,

श्री अंकुर बाजपेयी
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः जनपद सोनभद्र में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग सोनभद्र द्वारा पटवध ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत पाइप लाइन विछाने हेतु ग्राम कनच के आ0सं0 4ग वन भूमि पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पाइप लाइन तथा जैकवेल के निर्माण हेतु 6.4325 हे0 कैमूर वन्य जीव विहार के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 55 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0–एफ0पी0/यू0पी0/वाटर/119894/2021).

संदर्भः आपका पत्रांक 1339/डब्लू0–17/2021–22 दिनांक 18–7–2022.

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के फाइल नं0–5–3–2011–एफ0सी0(वाल्यूम–1) दिनांक 6–1–2022 के अद्यतन दर के अनुसार उक्त प्रभावित वन भूमि 6.4325 हे0 (कैमूर वन्य जीव विहार की भूमि) की नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन.पी.वी.) की गणना शीट उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्त के क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 6–1–2022 के आधार पर संशोधित एन0पी0वी0 की गणना शीट संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

संख्या– 158 / 33–1 समदिनांक

प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

Raj K-3

Scanned with CamScanner

जनपद सोनभद्र में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग सोनभद्र द्वारा पटवध ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत पाइप लाइन विछाने हेतु ग्राम कनच के आ0सं0 4ग वन भूमि पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पाइप लाइन तथा जैकवेल के निर्माण हेतु 6.4325 हे0 कैमूर वन्य जीव विहार के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी प्रस्ताव सं0–एफ0पी0/यू0पी0/वाटर/119894/2021.

प्रस्तावित वन भूमि का नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन.पी.वी.) की गणना सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कैमूर वन्य जीव प्रभाग के गुर्मा रेंज अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग सोनभद्र द्वारा पटवध ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत पाइंप लाइन विछाने हेतु ग्राम कनच के आ0सं0 4ग वन भूमि पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पाइप लाइन तथा जैकवेल के निर्माण हेतु 6.4325 हे0 कैमूर वन्य जीव विहार के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के फाइल नं0–5–3–2011–एफ0सी0(वाल्यूम–1) दिनांक 6–1–2022 के अद्यतन दर के अनुसार उक्त प्रभावित वन भूमि 6.4325 हे0 (कैमूर वन्य जीव विहार की भूमि) की नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन.पी.वी.) की गणना निम्नानुसार है :–

वन प्रकार	क्षेत्रफल हे0	इको क्लास	घनत्व	प्रति हे0 वैल्यू (रू0में)	गणना	कुल वैल्यू (रूपये में)
आरक्षित वन भूमि	6.4325	III	0.1	9,57,780.00	6.4325×5×9,57,780	3,08,04,599.25
					योग–	3,08,04,599.25
					अर्थात	3,08,04,599.00

(रूपये तीन करोड़ आठ लाख चार हजार पॉच सौ निन्यानबे मात्र)

(अ[illegible] जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

पत्र संख्या – 106/33-1 मीरजापुर, दिनांक जुलाई 12, 2022.

सेवा में,

तकनीकी सलाहकार,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
6 राणा प्रताप मार्ग, यूपी जल निगम, लखनऊ।

विषयः जनपद सोनभद्र के कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रमीण जलपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश) द्वारा पटवध ग्राम समूह पाईप पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम कनछ में प्रस्तावित WTP पाईप लाईन एवं जैकवेल निर्माण में प्रभावित 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 55 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UP/Water/119894/2021)

सन्दर्भः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या सं0 – 8बी/यू0पी0/08/263/2021/एफ0सी0/210 दिनांक–07.07.2022।

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र जो आपको एवं इस कार्यलय को पृष्ठाकिंत है, के द्वारा विषयक प्रस्ताव के सापेक्ष कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी की गयी है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा एन0पी0वी0 की धनराशि e-portal के माध्यम से जमा कर एवं समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या पूर्ण कर चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of over equivalent 6.4325 ha. non forest land in Gata No. 28/1M., Sagara Village, Halia Range, District Mirzapur at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर द्वारा गाटा सं0 28/1 मी0, ग्राम सगरा, हलिया रेंज के अंतर्गत 6.4325 हे0 गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा तथा स्थानीय देशी प्रजाति के वृक्षो का मिश्रित वृक्षारोपण करते हुये मोनो कल्चर को टाला जायेगा।
3	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैर वन भूमि को कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर को सौंपे जाने तथा हस्तांतरण के पशचत 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपी जाएगी।
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act. t927. or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.	सी0ए0 के लिए प्रस्तावित गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 या धारा 29 के अन्तर्गत घोषित किये जाने हेतु 05 अदद ट्रेसिंग क्लाथ पर राजस्व मैप का तरमीमी मानचित्र उपलब्ध कराया जाय। ताकि धारा–4/29 का प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

Scanned with CamScanner

5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	परियोजना में प्रभावित हो रही 6.4325 हे0 वन भूमि के बदले 6.4325 हे0 गैर वन भूमि में 10 वर्षो तक रख–रखाव सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 44,93000.00 (चौवालिस लाख तिरानवें हजार मात्र) की धनराशि ई–पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड,नई दिल्ली में जमा करायें।
6	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 6.4325 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	परियोजना में प्रभावित हो रही 6.4325 हे0 वन भूमि का एन0पी0वी0 रू0 3,08,04599/– (तीन करोड़ आठ लाख चार हजार पॉच सौ निन्यानवें मात्र) की धनराशि ई–पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड,नई दिल्ली में जमा करायें।
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि भविष्य में यदि एन0पी0वी0 की दर मे बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी ।
8	User agency shall restrict the felling of trees to 55 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता अभिकाण द्वारा प्रस्तावित WTP पाईप लाईन एवं जैकवेल के निमाण हेतु प्रभावित वन भूमि में बाधक/पातन किये जाने वाले 55 वृक्षो में से न्युनतम / अपरिहार्य वृक्षो का ही पातन कराया जाय तथा बाधक वृक्षो का पातन वन विभग की सख्त निगरानी में उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा एवं पातन की विभिन्न प्रकिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग फेलिंग एवं ट्रांसपोटेशन चार्जेज का भुगतान उ0प्र0 वन निगम को कराना होगा। वृक्षो के छपान का व्यय का भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा 55×23=1265.00 (रू0 एक हजार दो सौ पैसठ) का बैंक ड्राफट जो भारतीय स्टेट बैंक मिर्जापुर में देय हो, को प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर के

Scanned with CamScanner

		पदनाम से उपलब्ध कराना होगा।
9	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत स्वीकृति तक प्रस्तावित 6.4325 है0 आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 55 वृक्षों के पातन नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
10	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण विवरण सहित वन अधिकार अधिनियम 2006 का जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
11	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipeline the ground will be levelled.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय कि वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे की वे पाईप लाईन को 1.5 मी0 नीचे बिछाया जाएगा और पाईप लाईन डालने के बाद जमीन को समतल किया जाएगा।
12	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यदि आवश्यक हो तो अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
13	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित परियोजना का लेआउट प्लान भारत सरकार के पूव अनुमति के विना नहीं बदला जायेगा सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
14	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि डब्लू0टी0पी0, पाइप लाइन एवं जैकवेल निर्माण के दौरान कार्यरत श्रमिको का वन भूमि पर कोइ भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।
15	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि डब्लू0टी0पी0, पाइप लाइन एवं जैकवेल निर्माण के दौरान कार्यरत श्रमिकों हेतु पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, अन्य वैकल्पिक ईधन कय कर श्रमिकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
16	The boundary of the diverted forest land shall	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रभावित

Scanned with CamScanner

	be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	हो रही 0.4325 हे0 वन भूमि की सीमा को परियोजना के लागत पर समुचित रूप से सीमांकन किया जाना है।
17	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
18	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	परियोजना की अवधि प्रयोक्ता अभिकरण या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाले पटटे की अवधि जो भी कम हो, पर लागू होगा।
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि प्रस्तावित परियोजना के अलावा अन्य किसी भी उददेश्य/प्रयोजन हेतु प्रभावित वन भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।
20	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा की प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में अन्य किसी भी विभाग, व्यक्ति अथवा संस्था को भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
21	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	——
22	Clearance or Standing Committee of National Board of Wild Life shall be submitted before the Final approval. No works shall be carried out in Forest land without approval of SCNBWL. Also an undertaking needs to be submitted by User agency that if clearance of SCNBWL is not accorded, their alignment shall be changed to avoid Protected Area.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा की संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमति के बगैर कोइ भी कार्य आरम्भ नहीं की जायेगी तथा संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमति/ स्वीकृति न मिलने पर प्रयोक्ता अभिकाण द्वारा WTP पाईप लाईन एवं जैकवेल का संरेखण को बदल कर गैर संरक्षित क्षेत्र मे किया जाएगा।
23	The DFO shall certify that no plantation has been done in the proposed CA area in previous years as per FC Act guidelines, 1980.	——

Scanned with CamScanner

24	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिशानिर्देश एफ0सं0 11–42/2017–एफ0सी0/1071 दिनांक–29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
25	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा की भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिये समय समय पर दिये गये निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा।
26	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से केवल CAMPA फंड में हस्तांतरित/जमा की जायेगी।
27	The compliance report shall be uploaded on *e-portal* (https://parivesh.nic.in/).	अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर

संख्या 106 /331 समदिनांक

1 प्रतिलिपि – मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2 प्रतिलिपि – मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर

Scanned with CamScanner